

-//1//-

आपराधिक प्रकरण क.-587/08

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्रकरण क.-587/08

संस्थित दिनांक-26/08/08

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,

जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - - अभियोगी

विरुद्ध

पुरन कुमार पिता गुहदड़लाल, उम्र 25 साल, जाति लोहार,

साकिन दरबारीटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक- 29/12/2014 को घोषित)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338(काउन्टस-2), 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-30.06.2008 को समय 18:00 बजे, खुर्शीपार मस्जिद के पीछे, बायपास लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी.04-डी.बी.0711 मय ट्राली के तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं गंगाप्रसाद, गीताबाई को उक्त ट्रेक्टर से टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा संजय की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है व उक्त वाहन को बिना अनुज्ञप्ति के चलाते हुये पाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी गंगाप्रसाद ने

दिनांक 30.06.2008 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 30.06.2008 को उसकी मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी. 04-सी./5488 पर उसकी पत्नी गीताबाई और लड़के संजय को लेकर उसके साड़ू निरपत के घर गया था, वहां से वापस आते समय खुर्शीपार रोड पर ट्रेक्टर चालक ने हॉर्न बजाने पर साईड दी, जैसे ही वह बराबरी पर पहुंचा तो ट्रेक्टर चालक ने ट्रेक्टर को लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह मोटरसाईकिल सहित गिर गया। उसके लड़के संजय के सिर के उपर ट्राली का पहिया चढ़ने से मृत्यु हो गई। उसके बांये और पत्नी गीताबाई के बांये घुठने पर चोट लगी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 67/08 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 183, 184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304ए भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 183, 184, 3/181 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338, 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक-30.06.2008 को समय 18:00 बजे, खुर्शीपार मस्जिद के पीछे, बायपास लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी.04-डी.बी.0711 मय

ट्राली के तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी.04-डी.बी.0711 मय ट्राली के तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर गंगाप्रसाद, गीताबाई को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी.04-डी.बी.0711 मय ट्राली के तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर संजय को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

(4) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी.04-डी.बी.0711 मय ट्राली के लोकगार्ग पर बिना चालक अनुज्ञप्ति के चालन किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी गंगाप्रसाद (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना वर्ष 2008 की शाम के 06:00 बजे बिरसा से बायपास रोड की है। वह पिपरटोला से चकरवाही अपने बच्चे के साथ आ रहा था। रास्ते में ट्रेक्टर वाले ने उसे साईड दी और जैसे ही उसकी गाड़ी काँस हो रही थी तो ट्रेक्टर चालक ने दुवारा से रोड पर ट्रेक्टर ला दिया, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में उसके बच्चे की मौत हो गई थी तथा उसे व उसकी पत्नी को चोटे आई और वह बेहोश हो गया। घटना की

रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। घटनास्थल के मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 एवं मार्ग इन्टीमेशन प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(08) अभियोजन साक्षी गीताबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी शाम के 06:00 बजे बिरसा की है। वह उसके पति व बच्चे के साथ मोटरसाईकिल पर बिरसा से बैठकर लौट रही थी। रास्ते में ट्रेक्टर वाले ने उन्हें साईड दी जैसे ही वह मोटरसाईकिल से रोड कॉस कर रहे थे तो ट्रेक्टर चालक ने वापस ट्रेक्टर को रोड पर ला दिया, जिससे उनकी मोटरसाईकिल गिर गई और उसके लड़की की मृत्यु हो गई और उसे तथा उसके पति को चोटें आई थी।

(09) अभियोजन साक्षी सुंदरलाल (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो वर्ष पुरानी ग्राम खुर्शीपार की है। फोन द्वारा उसे सूचना प्राप्त होने पर वह घटनास्थल पर गया था जहां पर प्रार्थी गंगाप्रसाद एवं गीताबाई का हाथ फ्रेक्चर हो गया था एवं संजय मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। घटना के बारे में फरियादी से पूछा तो उसने उसे बताया कि ट्रेक्टर चालक ने उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे घटना हुई। ट्रेक्टर घटनास्थल पर ही खड़ा था। घटना के समय आरोपी पुरनलाल चला रहा था। घटना ट्रेक्टर चालक की गलती से हुई थी।

(10) अभियोजन साक्षी उमाशंकर (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना वर्ष 2008 की है। फरियादी ने फोन द्वारा उसे सूचना दी कि घटना हो गई है तो वह घटनास्थल पर गया था। उसने देखा कि ट्रेक्टर उसके साईड में खड़ा था और संजय मृत अवस्था में ट्रेक्टर के दांयी तरफ पड़ा था तथा फरियादी एवं उसकी पत्नी के हाथ में फ्रेक्चर हो गया था। फरियादी गंगाराम ने बताया कि जब वह मोटरसाईकिल से ट्रेक्टर के साईड देने पर आगे जा रहा था तो उसी समय ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर को उसकी मोटरसाईकिल की तरफ लाया, जिससे उसकी मोटरसाईकिल ट्रेक्टर से टकरा गई तथा वह लोग गिर गये। मृतक संजय के पंचायतनामा प्रदर्श पी-04 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक नहीं बनाया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-06 पर उसके

हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-07 तैयार किया था।

(11) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र हरिनखेड़े (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने बताया है कि घटना दिनांक 30.06.2008 की है। उसने गंगाप्रसाद और गीताबाई की चोट देखी थी और भीड़ लगी हुई थी। घटनास्थल पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ था और टायर में बच्ची दबा हुआ था। आरोपी पुरनलाल ट्रैक्टर का चालक था और आरोपी की गलती से दुर्घटना हुई थी।

(12) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एल.एन.एस.उयके (अ.सा. 6) का कहना है कि दिनांक 01.08.2008 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में उसके समक्ष आरक्षक दिलीप पटले क्रमांक 951 के द्वारा संजय पिता गंगाप्रसाद, उम्र 06 वर्ष के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण करने पर मृतक का शरीर पीठ के बल लेटा हुआ था, आंखी की पुतली फैली हुई थी, सिर दांये तरफ झुका हुआ था, दोनों हाथ व पैर में राइगर्स था उसकी चकड़ी और नाखून का भाग पीला था, बाह्य जन्नाग सामान्य थे, एक गम्भीर और जानलेवा घाव जो बांये सिर के दाहिने भाग में स्थित था, जिसकी लम्बाई चौड़ाई 6x6 थी, जिसके नीचे की हड्डी, मांस पेशियां क्षतिग्रस्त थी, खून जमा हुआ था, सिर के दाहिने भाग में जितने मसल्लस, हड्डी और ब्रेन के अंदर के सभी भाग क्षतिग्रस्त पाये गये। व्यक्ति का कद-काठी सामान्य था, कपाल और मेरुदण्ड का परीक्षण करने पर उसमें गम्भीर घाव था, वक्ष के जितने भी भाग थे वे पीलापन लिये थे, उदर के भी सभी अंग पीलापन लिये हुये थे, छोटी आंत, बड़ी आंत खाने की थैली में थोड़ा वीष्ट पाया गया, जनेन्द्रिया आंतरिक सामान्य थी। अभिमत :- मृतक की मृत्यु सदमा या सिकोपी की वजय से हुई थी, जो बड़ा घाव एवं अत्याधिक रक्तस्राव होने के कारण मृत्यु हो सकती है। मृतक की मृत्यु की अवधि उसके परीक्षण करने के 12-24 घण्टे के अंदर की हो सकती है। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(13) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक

30.06.2008 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुये उसके समक्ष थाना मलाजखण्ड के सैनिक मुकेश कर्मांक 277 द्वारा आहत श्रीमति गंगाबाई पति गंगाप्रसाद को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत के चिकित्सीय परीक्षण में उसने बांये भुजा से लेकर बांयी कलाई तक अनियमित आकार की सूजन होना पाई, उक्त चोट में रेडियस अलना हड्डी की सम्भावना हो देखते हुये उसे एक्सरे उपचार तथा अभिमत हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था तथा आहत के बांये घुठने पर एक खरौंच जिसका आकार डेढ़ गुणा डेढ़ इंच था। चोट साधारण प्रकृति की थी। आहत को आई चोटे उसके परीक्षण के दो से छः घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है। उसी आरक्षक के द्वारा आहत गंगाप्रसाद पिता गिरदलाल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। आहत के चिकित्सीय परीक्षण में उसने बांये कोहनी से लेकर बांये हथेली के मध्य भाग तक एक अनियमित आकार की सूजन होना पाई। उक्त चोट में रेडियस अलना हड्डी की सम्भावना हो देखते हुये आहत का एक्सरे उपचार तथा अभिमत हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। आहत को आई चोट उसके परीक्षण के दो से छः घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है।

(14) अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.बेनर्जी (अ.सा. 7) का कहना है कि दिनांक 10.07.2008 को आहत गंगाप्रसाद पिता गिरदलाल की एक्सरे प्लेट क्रमांक 963, 964 जिस पर दिनांक 30.06.2008 लिखा हुआ था उसके समक्ष लायी गई थी। एक्सरे रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गई थी। एक्सरे रिपोर्ट में उसने आहत के बांये हाथ में फ्रेक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। दिनांक 10.07.2008 को आहत गीताबाई पति गंगाप्रसाद की एक्सरे प्लेट क्रमांक 961, 962 को उसके समक्ष परीक्षण हेतु रखे जाने पर उसने आहत की बांयी कोहनी के नीचे हाथ में रेडियस और अलना हड्डी में फ्रेक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई

एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने हेतु आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन होने से अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(16) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(17) अभियोजन साक्षी गंगाप्रसाद (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना वर्ष 2008 की शाम के 06:00 बजे बिरसा से बायपास रोड की है। वह पिपरटोला से चकरवाही अपने बच्चे के साथ आ रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर वाले ने उसे साईड दी और जैसे ही उसकी गाड़ी काँस हो रही थी तो ट्रैक्टर चालक ने दुवारा से रोड पर ट्रैक्टर ला दिया, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में उसके बच्चे की मौत हो गई थी तथा उसे व उसकी पत्नी को चोटे आई और वह बेहोश हो गया। घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। घटनास्थल के मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 एवं मार्ग इन्टीमेशन प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट ट्रैक्टर द्वारा सामने से टक्कर मारने वाली बात बताई थी। उसने ट्रैक्टर बराबरी में आया और चालक ने लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रैक्टर रोड तरफ लाया और ट्राली उसकी मोटरसाईकिल से टकराई थी यह नहीं बताया।

(18) अभियोजन साक्षी गीताबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी शाम के 06:00 बजे बिरसा की है। वह उसके पति व बच्चे के साथ मोटरसाईकिल पर बिरसा से बैठकर लौट रही थी। रास्ते में ट्रैक्टर वाले ने उन्हें साईड दी जैसे ही वह मोटरसाईकिल से रोड काँस कर रहे थे तो ट्रैक्टर चालक ने वापस ट्रैक्टर को रोड पर ला दिया, जिससे उनकी मोटरसाईकिल गिर गई और उसके लड़की की मृत्यु हो गई और उसे तथा उसके पति को चोटे आई थी। किन्तु साक्षी ने

अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ट्राली उनकी मोटरसाईकिल से टकराई यह बात उसके कथन में लिखी हो तो गलत है। ट्रेक्टर चालक उसकी साईड से ट्रेक्टर चला रहा था।

(19) अभियोजन साक्षी सुंदरलाल (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो वर्ष पुरानी ग्राम खुर्शीपार की है। फोन द्वारा उसे सूचना प्राप्त होने पर वह घटनास्थल पर गया था जहां पर प्रार्थी गंगाप्रसाद एवं गीताबाई का हाथ फेक्चर हो गया था एवं संजय मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। घटना के बारे में फरियादी से पूछा तो उसने उसे बताया कि ट्रेक्टर चालक ने उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे घटना घटी। ट्रेक्टर घटनास्थल पर ही खड़ा था। घटना के समय आरोपी पुरनलाल चला रहा था। घटना ट्रेक्टर चालक की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना कैसे घटित हुई उसे इस बात की जानकारी नहीं है। उसने घटना होते हुये नहीं देखी।

(20) अभियोजन साक्षी उमाशंकर (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना वर्ष 2008 की है। फरियादी ने फोन द्वारा उसे सूचना दी कि घटना हो गई है तो वह घटनास्थल पर गया था। उसने देखा कि ट्रेक्टर उसके साईड में खड़ा था और संजय मृत अवस्था में ट्रेक्टर के दांयी तरफ पड़ा था तथा फरियादी एवं उसकी पत्नी के हाथ में फेक्चर हो गया था। फरियादी गंगाराम ने बताया कि जब वह मोटरसाईकिल से ट्रेक्टर के साईड देने पर आगे जा रहा था तो उसी समय ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर को उसकी मोटरसाईकिल की तरफ लाया, जिससे उसकी मोटरसाईकिल ट्रेक्टर से टकरा गई तथा वह लोग गिर गये। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। मृतक संजय के पंचायतनामा प्रदर्श पी-04 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक नहीं बनाया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-06 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार

किया है कि घटना कैसे घटित हुई उसे इस बात की जानकारी नहीं है। वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उसने पुलिस के कहने पर मृतक संजय के पंचायतनामा प्रदर्श पी-04 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-05, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06, नुक्सानी पंचनामा प्रदर्श पी-07 पर हस्ताक्षर कर दिये थे। किये थे।

(21) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र हरिनखेड़े (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने बताया है कि घटना दिनांक 30.06.2008 की है। उसने गंगाप्रसाद और गीताबाई की चोट देखी थी और भीड़ लगी हुई थी। घटनास्थल पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ था और टायर में बच्ची दबा हुआ था। आरोपी पुरनलाल ट्रैक्टर का चालक था और आरोपी की गलती से दुर्घटना हुई थी। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। दुर्घटना कैसे हुई जानकारी नहीं है।

(22) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एल.एन.एस.उयके (अ.सा. 6) का कहना है कि दिनांक 01.08.2008 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में उसके समक्ष आरक्षक दिलीप पटले क्रमांक 951 के द्वारा संजय पिता गंगाप्रसाद, उम्र 06 वर्ष के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण करने पर मृतक का शरीर पीठ के बल लेटा हुआ था, आंखी की पुतली फैली हुई थी, सिर दांये तरफ झुका हुआ था, दोनों हाथ व पैर में राइगर्स था उसकी चकड़ी और नाखून का भाग पीला था, बाह्य जंन्नाग सामान्य थे, एक गम्भीर और जानलेवा घाव जो बांये सिर के दाहिने भाग में स्थित था, जिसकी लम्बाई चौड़ाई 6x6 थी, जिसके नीचे की हड्डी, मांस पेशियां क्षतिग्रस्त थी, खून जमा हुआ था, सिर के दाहिने भाग में जितने मसल्लस, हड्डी और ब्रेन के अंदर के सभी भाग क्षतिग्रस्त पाये गये। व्यक्ति का कद-काठी सामान्य था, कपाल और मेरुदण्ड का परीक्षण करने पर उसमें गम्भीर घाव था, वक्ष के जितने भी भाग थे वे पीलापन लिये थे, उदर के भी सभी अंग पीलापन लिये हुये थे, छोटी आंत, बड़ी आंत खाने की थैली में थोड़ा वीष्ट पाया गया, जनेन्द्रिया आंतरिक सामान्य थी। अभिमत :- मृतक की मृत्यु

सदमा या सिंकोपी की वजय से हुई थी, जो बड़ा घाव एवं अत्याधिक रक्तस्राव होने के कारण मृत्यु हो सकती है। मृतक की मृत्यु की अवधि उसके परीक्षण करने के 12-24 घण्टे के अंदर की हो सकती है। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(23) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 30.06.2008 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये उसके समक्ष थाना मलाजखण्ड के सैनिक मुकेश कर्मांक 277 द्वारा आहत श्रीमति गंगाबाई पति गंगाप्रसाद को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत के चिकित्सीय परीक्षण में उसने बांये भुजा से लेकर बांयी कलाई तक अनियमित आकार की सूजन होना पाई, उक्त चोट में रेडियस अलना हड्डी की सम्भावना हो देखते हुये उसे एक्सरे उपचार तथा अभिमत हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था तथा आहत के बांये घुठने पर एक खरौंच जिसका आकार डेढ़ गुणा डेढ़ इंच था। चोट साधारण प्रकृति की थी। आहत को आई चोटे उसके परीक्षण के दो से छः घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है। उसी आरक्षक के द्वारा आहत गंगाप्रसाद पिता गिरदलाल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। आहत के चिकित्सीय परीक्षण में उसने बांये कोहनी से लेकर बांये हथेली के मध्य भाग तक एक अनियमित आकार की सूजन होना पाई। उक्त चोट में रेडियस अलना हड्डी की सम्भावना हो देखते हुये आहत का एक्सरे उपचार तथा अभिमत हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। आहत को आई चोट उसके परीक्षण के दो से छः घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है।

(24) अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.बेनर्जी (अ.सा. 7) का कहना है कि दिनांक 10.07.2008 को आहत गंगाप्रसाद पिता गिरदलाल की एक्सरे प्लेट क्रमांक 963, 964 जिस पर दिनांक 30.06.2008 लिखा हुआ था उसके समक्ष लायी गई थी। एक्सरे रिपोर्ट

उसके द्वारा तैयार की गई थी। एक्सरे रिपोर्ट में उसने आहत के बांये हाथ में फ्रेक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। दिनांक 10.07.2008 को आहत गीताबाई पति गंगाप्रसाद की एक्सरे प्लेट क्रमांक 961, 962 को उसके समक्ष परीक्षण हेतु रखे जाने पर उसने आहत की बांयी कोहनी के नीचे हाथ में रेडियस और अलना हड्डी में फ्रेक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है।

(25) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से दुर्घटना में गंगाप्रसाद एवं गीताबाई को घोर उपहति कारित होने की तथा संजय की मृत्यु कारित होने की तो पुष्टि होती है। किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी ने दिनांक-30.06.2008 को समय 18:00 बजे, खुर्शीपार मस्जिद के पीछे, बायपास लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी.04-डी.बी.0711 मय ट्राली के तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं गंगाप्रसाद, गीताबाई को उक्त ट्रेक्टर से टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा संजय की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है व उक्त वाहन को बिना अनुज्ञप्ति के चलाते हुये पाया गया, यह परिलक्षित नहीं होता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी गंगाप्रसाद, गीताबाई, सुंदरलाल एवं उमाशंकर के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हुआ है तथा साक्षी देवेन्द्र हरिनखेड़े को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(26) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी ने दिनांक 30.06.2008 को समय 18:00 बजे, खुर्शीपार मस्जिद के पीछे, बायपास लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी. 04-डी.बी.0711 मय ट्राली के तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं गंगाप्रसाद, गीताबाई को उक्त ट्रेक्टर से टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा संजय की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो आपराधिक मानववध की

श्रेणी में नहीं आती है व उक्त वाहन को बिना अनुज्ञप्ति के चलाते हुये पाया गया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है।

(27) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338(काउन्टस-2), 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(28) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(29) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी.04-डी.बी.0711 मय ट्राली के तथा वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)